



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10032021-225785
CG-DL-E-10032021-225785

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1044]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 10, 2021/फाल्गुन 19, 1942

No. 1044]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 10, 2021/PHALGUNA 19, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2021

का.आ. 1132(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ., जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले में बर-बिलाड़ा-जोधपुर NH112 के कि.मी. 36 से कि.मी. 85.75 (बिलाड़ा) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "26/1/2021" को "राजस्थान पत्रिका" और "दैनिक भास्कर" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले में बर-बिलाड़ा-जोधपुर NH112 के कि.मी. 36 से कि.मी. 85.75 (बिलाड़ा) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: राजस्थान		जिले का नाम: जोधपुर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: बिलारा				
	गांव का नाम: खारिया मीठापुर				
1	1660	निजी	गैर मुमकिन आवादी	0.022	ग्राम पंचायत खारिया मीठापुर के अधीन भूमि जारी पट्टा संख्या 001 व 002 के अनुसार बगदाराम, भीकाराम, गुणाराम, जोधाराम पिसरान श्री अमराराम जातियान गुर्जर निवासीगण खारिया मीठापुर (1660)
2	1695	निजी	चाही अलिफ़	0.0094	गणेशराम पुत्र सरूपराम हिस्सा 1/6, जसाराम पुत्र सरूपराम हिस्सा 1/6, ढगलीदेवी पत्नी जयराम हिस्सा 1/21, देवी पत्नी हड़मानराम हिस्सा 1/30, नारायणराम पुत्र हड़मानराम हिस्सा 1/30, पुखाराम पुत्र सरूपराम हिस्सा 1/6, रहन हिस्सा 1/6 यूको बैंक खारिया मीठापुर, पारसराम पुत्र जयराम हिस्सा 1/21, भंवरीदेवी पुत्री हड़मानराम हिस्सा 1/30, मंगलाराम पुत्र हड़मानराम हिस्सा 1/30, मुन्नीदेवी पुत्री हड़मानराम हिस्सा 1/30, रमलीदेवी पुत्री जयराम हिस्सा 1/42, लाबूराम पुत्र सरूपराम हिस्सा 1/6 रहन हिस्सा 1/6 यूको बैंक खारिया मीठापुर, हेमाराम पुत्र

					जयराम हिस्सा 1/21 सभी जातियान खारडिया (सीरवी) सा. देह खातेदार (1695)
3	234	निजी	चाही अलिफ़	0.0324	गुदड़राम पुत्र नाथाराम हिस्सा 1/3, जमुदेवी पत्नी ओगड़राम हिस्सा 2/9, ढगलाराम पुत्र प्रभुराम हिस्सा 1/3, मंगलाराम पुत्र ओगड़राम हिस्सा 1/9, सभी जातियान खारडिया (सीरवी) सा. देह खातेदार (234)
			कुल	0.0638	

[फा. सं. NHAI/15003/1/2018/3(a)-BBJ/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 10th March, 2021

S.O. 1132(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of Bar-Bilara- Jodhpur NH112 on the stretch of land from Km. 36 to Km. 85.75 (Bilara) in the district of JODHPUR in the state of RAJASTHAN

And whereas the substance of the said notification has been published in “Rajasthan Patrika” and “Dainik Bhaskar” both dated 26/1/2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the Bar-Bilara-Jodhpur NH112 in the stretch of land from km. 36 to km. 85.75 (Bilara) in the district of JODHPUR in the state of RAJASTHAN

State: RAJASTHAN		District: JODHPUR			
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Bilara				
	Village: Khariya Meethapur				
1	1660	Private	Gr. M. Abadi	0.022	Gram Panchayat Khariya mithapur ke Adhin Bhumi Jari Patta S. 001 & 002 ke Anusar Bagdaram, Bhikaram, Gunaram, Jodharam S/o Amraram Caste Gurjar, Add. Khariya mithapur 1660
2	1695	Private	Chahi Alif	0.0094	Ganeshram S/o Sarupram Hissa 1/6, Jassaram S/o Sarupram Hissa 1/6, Dhagldevi W/o Jayram Hissa 1/21, Devi W/o Hadmanram Hissa 1/30, Narayanram S/o Hadmanram Hissa 1/30, Pukharam S/o Sarupram Hissa 1/6, Rahan Hissa 1/6 Uco Bank Khariya mithapur, Parasram S/o Jayram Hissa 1/21, Bhanwaridevi D/o Hadmanram Hissa 1/30, Manglaram S/o Hadmanram Hissa 1/30, Munnidevi D/o Hadmanram Hissa 1/30, Ramlidevi D/o Jayram Hissa 1/42, Laburam S/o Sarupram Hissa 1/6, Rahan Hissa 1/6 Uco Bank Khariya mithapur, Hemaram S/o Jayram Hissa 1/21, Caste Khardiya (Seervi) Sa. Deh Khatedar 1695
3	234	Private	Chahi Alif	0.0324	Gudarram S/o Natharam Hissa 1/3, Jamudevi W/o Ogadram Hissa 2/9, Dhaglaram S/o Prabhuram Hissa 1/3, Manglaram S/o Ogadram Hissa 1/9, Caste Khardiya (Seervi) Sa. Deh Khatedar 234
			TOTAL	0.0638	

[F. No. NHAI/15003/1/2018/3(a)-BBJ/3D]

RAJESH GUPTA, Director